HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 429/2024

1. जितेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री श्रीराम सैनी, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासीगण एमन की ढाणी, तहसील नवलगढ़, बडवासी, जिला झुन्झुनू, राज0।
2. विरेन्द्र सैनी पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार सैनी, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासीगण एमन की ढाणी, तहसील नवलगढ़, बडवासी, जिला झुन्झुनू, राज0।
3. रोशनी कुमार पुत्री श्री जितेन्द्र कुमार सैनी, आयु लगभग 16 वर्ष, नाबालिग जरिये पिता जितेन्द्र कुमार सैनी, निवासीगण एमन की ढाणी, तहसील नवलगढ़, बडवासी, जिला झुन्झुनू, राज0।

———अपीलार्थीगण/आवेदकगण

बनाम

1. सूफियान पुत्र साजिद सैय्यद, उम्र 24 वर्ष, निवासी वार्ड नं.16, मोहल्ला खटीकान, जिला झुन्झुनू–333001
(चालक कार नंबर आरजे–27–सीए–6045)
2. मोहम्मद फारूक नायक पुत्र अब्दुल जब्बार नायक, निवासी 17, किशनपोल, गर्वमेंट प्रेस रोड, उदयपुर, हाल निवासी 41, समता नगर, बैदला, जिला उदयपुर।
(वाहन पंजीकृत स्वामी कार नंबर आरजे–27–सीए–6045)
3. आकीब पुत्र मोहम्मद रफीक खान, निवासी मदीना मस्जिद के पास, वार्ड नं.3, फतेहपुर, जिला सीकर।
(वाहन इकरारनामा स्वामी कार नंबर आरजे–27–सीए–6045)
4. इफ्को टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, जरिये प्रबन्धक पंजीकृत कार्यालय – सैकिण्ड फ्लोर, भगवती भवन, एम.आई.रोड़, जयपुर। वैधता तिथि 21.07.2021 से 20.07.2022 तक (वाहन बीमा कंपनी कार नंबर आरजे–27–सीए–6045)

———रेस्पोडेन्ट्स/विपक्षीगण

For Appellant(s)	:	Mr. Ram Dayal Saini, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Chanderdeep Singh Jodha, Adv. (For Insurance Company)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

11/05/2026

1. अपीलार्थीगण जितेन्द्र कुमार सैनी वगैरा द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, झुंझुनू, राज0 (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या–211/2021, जितेन्द्र वगैरा बनाम सूफियान वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2023 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, रोहित कुमार सैनी की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 36,30,000/– रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्व ारा उक्त क्लेम याचिका में अपीलार्थीगण को कुल 8,56,894/– रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 7 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। उक्त आदेश से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक को वक्त घटना कुशल श्रमिक मानते हुए उसकी मासिक आय 7,358/– रूपये (26 दिनों के आधार पर) निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की है, जबकि मृतक वक्त घटना अध्ययनरत था तथा दूध डेयरी का कार्य कर 15,000/– रूपये मासिक आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को संशोधित कर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता बीमा कंपनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 16.09.2021 की बताई गयी है। क्लेम याचिका में अपीलार्थीगण द्वारा मृतक को वक्त घटना अध्ययनरत होना व दूध डेयरी का कार्य कर 15,000/– रूपये प्रतिमाह की आय अर्जित करना बताया गया है। किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक को वक्त घटना कुशल श्रमिक होना मानते हुए मृतक की मासिक आय 283/– रूपये प्रतिदिन की दर से 26 दिनों के आधार पर 7,358/– रुपये निर्धारित की गई है। जबकि विद्वान अधिकरण को एक मजदूर श्रेणी के व्यक्ति की 30 दिनों की आय निर्धारित की जानी चाहिए थी। वक्त घटना कुशल श्रमिक की दैनिक आय 283/– रुपये, तद्नुसार मासिक आय 8,490/– रुपये होती है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक की आयु 20 से 21 वर्ष के मध्य निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **नेशनल ईंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्यः (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त निर्धारित मासिक आय 8,490/– रुपये पर 40 प्रतिशत की भविष्य–वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। 8,490/– रुपये का 40 प्रतिशत 3,396/– रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को मृतक की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतक की कुल मासिक आय 11,886/– रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

7. वक्त घटना मृतक अविवाहित था। ऐसी स्थिति में मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/2 भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/2

भाग की कटौती की गई है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं। 11,886/– रुपये का 1/2 भाग 5,943/– रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 5,943/– रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 20 से 21 वर्ष के मध्य निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रासंपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्यः (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा भी अपने निर्णय में 18 के गुणक का प्रयोग किया गया है, जो उचित है। तद्नुसार मृतक की निर्धारित मासिक आय 5,943/– रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति 5,943 x 12 x 18 = 12,83,688/– रुपये होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

8. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को कंसोर्टियम की मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य : (2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य : (2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/– रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

9. इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक के आश्रितगण को कंसोर्टियम की मद में, अंतिम संस्कार व सम्पदा की हानि के मद में दी जाने वाली निर्धारित राशि में प्रत्येक 03 वर्ष में 10 प्रतिशत राशि की बढ़ोतरी किये जाने का आदेश दिया गया है। इसलिए इस मामले में भी उक्त मदों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर अपीलार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जावे।

10. मामले की घटना दिनांक 16.09.2021 की होना जाहिर है। ऐसी स्थिति यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक को ''फिलियल कंसोर्टियम'' की मद में 44,000/– रूपये, कुल 1,32,000/– रूपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझती हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 15,000/– रुपये तथा सम्पदा की हानि की मद में 15,000/– रूपये की राशि दिलवाई गई है। अतः अंतिम संस्कार तथा सम्पदा की हानि की मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 16,500–16,500/– रुपये, कुल 33,000/– रूपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण ने मामले की घटना में प्रश्नगत वाहन चालक की गलती मानते हुए दुर्घटना कारित करना बताया है। किन्तु मृतक का वक्त घटना हेलमेट नहीं पहनने के कारण मृतक की 25 प्रतिशत की योगदायी उपेक्षा मानते हुए क्षतिपूर्ति राशि में 25 प्रतिशत की कटौती कर ली है।

13. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त **Anjana Narayan Kamble & Ors. Vs. Branch Manager, Reliance General Insurance Company Limited & Anr.,** reported in **2022 Supreme(SC) 1811** का अवलोकन किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है किः–

> "7. In the present case, there is no such evidence of contributory negligence except fact of three riders on the motor cycle and of not wearing helmet by the deceased. Therefore, in view of the enunciation of law, we find that the High Court was not justified in deducting 30% of the amount of compensation assessed by the Tribunal for the reason that the deceased was triple riding the Motor Cycle or was not wearing a

> helmet. The violation of rules for driving a motor vehicle is not a ground to deduct the amount of compensation awarded unless there is proof of either the accident could have been averted or the impact could have been minimized."

14. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धांत का अवलम्ब लेते हुए यह न्यायालय हस्तगत मामले में मृतक की किसी भी प्रकार से कोई योगदायी उपेक्षा माना जाना उचित नहीं समझती है तथा विद्वान अधिकरण ने मृतक की योगदायी उपेक्षा मानते हुए निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि में योगदायी उपेक्षा के संबंध में, जो 25 प्रतिशत राशि की जो कटौती की है, उसे हम त्रुटिपूर्ण होना पाते हैं। अतः इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि, अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

15. उपरोक्तानुसार अपीलार्थीगण जितेन्द्र कुमार सैनी वगैरा निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	12,83,688/– रुपये
2.	कंसोर्टियम के मद में	1,32,000/– रुपये
3.	अंतिम संस्कार के मद में	16,500/– रुपये
4.	सम्पदा की हानि के मद में	16,500/– रुपये
5.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि	14,48,688/– रुपये
6.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	8,56,894/– रुपये
7.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	5,91,794/– रुपये

16. तदनुसार अपीलार्थीगण जितेन्द्र कुमार सैनी वगैरा की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को 8,56,894/– रूपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 14,48,688/– रूपये का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

17. इस निर्णय द्वारा बढाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

18. तद्नुसार उपरोक्त अपील निस्तारित की जाती है।

19. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

Badal /30